

मिसिल संख्या के-14011/17/2011-यूटी (पीटी-II)

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 11 फरवरी, 2013-02-11

कार्यालय आदेश

विषय:- शहरी परिवहन (यूटी) स्कंध में निदेशकों/उपसचिवों/अवर सचिवों/डेस्क अधिकारियों के काम का पुनःआवंटन- के संबंध में।

पत्र संख्या के-14011/17/2011-यूटी दिनांक 06 सितंबर, 2012 द्वारा जारी कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, शहरी परिवहन (यूटी) स्कंध में निदेशकों/उपसचिवों/अवर सचिवों/डेस्क अधिकारियों के कार्यों का संशोधित पुनःआवंटन इसके साथ संलग्न किया जा रहा है।

2. यह सचिव (शहरी विकास) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(प्रकाश सिंह)

निदेशक (एमआरटीएस- I)

दूरभाष संख्या: 23061868

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, शहरी विकास मंत्री/वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, सचिव (शहरी विकास)/प्रधान निजी सचिव, अपर सचिव (शहरी विकास)
2. प्रधान निजी सचिव, आर्थिक सलाहकार/प्रधान निजी सचिव, संयुक्त सचिव (यूटी)/निजी सचिव, संयुक्त सचिव (शहरी विकास)/निजी सचिव, संयुक्त सचिव (प्रशासन)/निजी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी (शहरी परिवहन) और पूर्व पदेन संयुक्त सचिव/निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एम)/निजी सचिव, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/निजी सचिव, प्रमाण पत्र प्राधिकरण के नियंत्रक
3. निजी सचिव, निदेशक (यूटी-I)/निजी सचिव, निदेशक (एमआरटीएस-I)/निजी सचिव, उप सचिव (एमआरटीएस II)/निजी सचिव, निदेशक (समन्वय)।
4. संबंधित अधिकारी
5. पी. आई. सेल/ए. वी. यूनिट/प्रशासन I/प्रशासन II/प्रशासन III/प्रशासन IV/संसदीय अनुभाग
6. एनआईसी को मंत्रालय की वेबसाइट में अद्यतन के लिए।

(प्रकाश सिंह)

निदेशक (एमआरटीएस- I)

विषय: शहरी परिवहन (यूटी) स्कंध में निदेशकों, उपसचिवों/अवर सचिवों और डेस्क अधिकारियों के कार्यों का प्रस्तावित पुर्नआवंटन

श्री प्रकाश सिंह, निदेशक (एमआरटीएस-1) विशेष कार्याधिकारी (यूटी) और ई.ओ. संयुक्त सचिव (जे.एस.) को रिपोर्ट करेंगे

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्य आवंटन
1.	श्री एस.के. गुप्ता, अवर सचिव (एमआरटीएस-1)	<p>i) दिल्ली और एनसीआर में मेट्रो रेल (सभी चरण) से संबंधित सभी मामले (रैपिड मेट्रो रेल गुडगांव लिमिटेड सहित, लेकिन जो मामले शहरी विकास मंत्रालय के किसी अन्य अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी को विशेष रूप से आवंटित किए गए हैं, उनको छोड़कर) इसमें निम्नलिखित कार्य मदें भी शामिल हैं:</p> <p>क) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर और कार्यान्वयन।</p> <p>ख) एमआरटीएस पर अधिकार-प्राप्त समिति (ईसी) और मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह (ईजीओएम) की सहायता।</p> <p>ग) स्वीकृति, बहुमॉडल समाकलन सहित पार्किंग नीति इत्यादि की शर्तों का परीक्षण।</p> <p>घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्वीकृति आदेश जारी करना।</p> <p>ङ) अवस्थापना पर मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीआई) इत्यादि को रिपोर्ट करने के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं का भौतिक और वित्तीय सत्यापन।</p> <p>च) बजट संबंधी मामले, अल्पावधि ऋण संबंधी मामले, निधियां जारी करना, संसदीय मामले, स्थायी समिति/सलाहकार समिति सहित।</p> <p>छ) संरेखन (एलाइनमेंट) इत्यादि के लिए राजपत्र अधिसूचना।</p> <p>ज) आयात शुल्क संबंधी मामले</p> <p>झ) वीआईपी संदर्भ</p> <p>ञ) आरटीआई मामले।</p> <p>ट) प्रतिनियुक्ति संबंधी मामले।</p> <p>ठ) भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले।</p> <p>ड) उच्चाधिकार-प्राप्त समिति संबंधी मामले।</p> <p>ढ) फीडर बस सेवा संबंधी मामले।</p> <p>ण) यात्रा किराया निर्धारण समिति इत्यादि</p> <p>त) अदालती मामले।</p>

		<p>ii) दिल्ली और एनसीआर के संबंध में संक्षिप्त आदेश पत्र इत्यादि के लिए समन्वय कार्य।</p> <p>iii) एनसीआर, एनसीआरटीसी के लिए आरआरटीएस संबंधी मामले।</p> <p>iv) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।</p>
2.	श्री दीन दयाल, अवर सचिव (एमआरटीएस-समन्वय)	<p>i) बंगलौर महानगर क्षेत्र में मेट्रो रेल परियोजनाओं से संबंधित सभी मामले।</p> <p>क) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर और कार्यान्वयन।</p> <p>ख) एमआरटीएस पर अधिकार-प्राप्त समिति (ईसी) और मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह (ईजीओएम) की सहायता।</p> <p>ग) स्वीकृति, बहुमॉडल समाकलन सहित पार्किंग नीति इत्यादि की शर्तों का परीक्षण।</p> <p>घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्वीकृति आदेश जारी करना।</p> <p>ङ) सीसीआई इत्यादि को रिपोर्ट करने के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं का भौतिक और वित्तीय सत्यापन।</p> <p>च) बजट संबंधी मामले, अल्पावधि ऋण संबंधी मामले, निधियां जारी करना, संसदीय मामले, स्थायी समिति/सलाहकार समिति सहित।</p> <p>छ) संरेखन (एलाइनमेंट) इत्यादि के लिए राजपत्र अधिसूचना।</p> <p>ज) आयात शुल्क संबंधी मामले।</p> <p>झ) आरटीआई मामले/वीआईपी संदर्भ।</p> <p>ञ) प्रतिनियुक्ति संबंधी मामले।</p> <p>ट) भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले।</p> <p>ठ) उच्चाधिकार-प्राप्त समिति संबंधी मामले।</p> <p>ड) फीडर बस सेवा संबंधी मामले।</p> <p>ढ) यात्रा किराया निर्धारण समिति इत्यादि</p> <p>ण) अदालती मामले।</p> <p>ii) भारत में सभी मेट्रो रेल प्रणाली के लिए सभी नीतियां और तकनीकी मामले, इसमें कार्य की निम्नलिखित मर्दें भी शामिल हैं:</p> <p>क) राष्ट्रीय मेट्रो रेल नीति</p> <p>ख) मानकीकरण और स्वदेशीकरण के मुद्दे।</p> <p>ग) सुरक्षा प्रमाणन और दुर्घटना से संबंधित मुद्दे।</p> <p>घ) सुरक्षा से संबंधित मुद्दे।</p> <p>iii) मेट्रो प्रशासन के साथ सलाहकार बैठकें।</p>

		<p>iv) मोनोरेल, ट्रामवेज, मेट्रो कैब्स, मैग्लेव, पीआरटी इत्यादि जैसी नियंत्रित शहरी परिवहन प्रणालियों के लिए नई तकनीक।</p> <p>v) राष्ट्रीय शहरी रेल परिवहन प्राधिकरण और भारत में मेट्रो रेल प्रणाली के लिए नियंत्रण</p> <p>vi) मेट्रो रेलवे सलाहकार बोर्ड</p> <p>vii) मेट्रो के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र</p> <p>viii) शहरी परिवहन स्कंध के लिए सीपीआई इत्यादि सहित सभी मेट्रो रेल परियोजना के लिए समन्वय।</p> <p>ix) आरटीआई मामले।</p> <p>x) वीआईपी संदर्भ।</p> <p>xi) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।</p>
3.	अवर सचिव (एमआरटीएस-II) - रिक्त	<p>i) मुंबई, हैदराबाद महानगर क्षेत्रों में मेट्रो रेल परियोजनाओं से संबंधित सभी मामले, चाहे वे सरकारी वित्तीय मॉडल पर आधारित हों या पीपीपी पर, इसमें निम्नलिखित कार्य मदें भी शामिल हैं:</p> <p>क) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर और कार्यान्वयन।</p> <p>ख) एमआरटीएस पर अधिकार-प्राप्त समिति (ईसी) और मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह (ईजीओएम) की सहायता।</p> <p>ग) स्वीकृति, बहुमॉडल समाकलन सहित पार्किंग नीति इत्यादि की शर्तों का परीक्षण।</p> <p>घ) पीपीपी के आधार पर शुरू की गई उन मेट्रो परियोजनाओं के लिए छूट अनुबंध।</p> <p>ङ) उन मेट्रो परियोजनाओं के लिए, यदि पीपीपी के आधार पर शुरू की गई हैं, चूक/निरीक्षण समिति से संबंधित मामले।</p> <p>च) पीपीपी पर आधारित उन मेट्रो परियोजनाओं के लिए अधिकार-प्राप्त संस्थान, अधिकार-प्राप्त समिति और पीपीपीएसी से संबंधित सभी मुद्दे।</p> <p>छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्वीकृति आदेश जारी करना।</p> <p>ज) सीसीआई इत्यादि को रिपोर्ट करने के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं का भौतिक और वित्तीय सत्यापन।</p> <p>झ) बजट संबंधी मामले, अल्पावधि ऋण संबंधी मामले, निधियां जारी करना, संसदीय मामले, स्थायी समिति/सलाहकार समिति सहित।</p> <p>ञ) संरेखन (एलाइनमेंट) इत्यादि के लिए राजपत्र अधिसूचना।</p>

	<p>ट) आयात शुल्क संबंधी मामले।</p> <p>ठ) वीआईपी संदर्भ।</p> <p>ड) आरटीआई मामले।</p> <p>ढ) प्रतिनियुक्ति संबंधी मामले।</p> <p>ण) भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले।</p> <p>त) उच्चाधिकार-प्राप्त समिति संबंधी मामले।</p> <p>थ) फीडर बस सेवा संबंधी मामले।</p> <p>द) यात्रा किराया निर्धारण समिति इत्यादि</p> <p>ध) अदालती मामले।</p> <p>ii) मेट्रो रेल के लिए सभी विधानों से संबंधित मामले।</p> <p>iii) मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त, सीएमआरएस का नामांकन।</p> <p>iv) हवाई अड्डे को सड़कों से जोड़ने संबंधी मामले।</p> <p>v) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।</p>
--	---

2. सुश्री रुथ चांगसन, उपसचिव (एमआरटीएस II) संयुक्त सचिव (यूटी) को रिपोर्ट करेगी

1.	श्री के.सी. मीणा, अवर सचिव (एमआरटीएस-III)	<p>i) चेन्नई, कोलकाता और जयपुर में मेट्रो रेल से संबंधित सभी मामले, इसमें निम्नलिखित कार्य मर्दें भी शामिल हैं:</p> <p>न) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर और कार्यान्वयन।</p> <p>न) एमआरटीएस पर अधिकार-प्राप्त समिति (ईसी) और मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह (ईजीओएम) की सहायता।</p> <p>प) स्वीकृति, बहुमॉडल समाकलन सहित पार्किंग नीति इत्यादि की शर्तों का परीक्षण।</p> <p>फ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्वीकृति आदेश जारी करना।</p> <p>ब) सीसीआई इत्यादि को रिपोर्ट करने के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं का भौतिक और वित्तीय सत्यापन।</p> <p>भ) बजट संबंधी मामले, अल्पावधि ऋण संबंधी मामले, निधियां जारी करना, संसदीय मामले, स्थायी समिति/सलाहकार समिति सहित।</p> <p>म) संरेखन (एलाइनमेंट) इत्यादि के लिए राजपत्र अधिसूचना।</p> <p>य) आयात शुल्क संबंधी मामले।</p> <p>र) आरटीआई मामले/ वीआईपी संदर्भ।</p> <p>र) प्रतिनियुक्ति संबंधी मामले।</p>
----	---	--

		<p>ल) भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले।</p> <p>ळ) उच्चाधिकार-प्राप्त समिति संबंधी मामले।</p> <p>ळ) फीडर बस सेवा संबंधी मामले।</p> <p>व) यात्रा किराया निर्धारण समिति इत्यादि</p> <p>श) अदालती मामले।</p> <p>ii) तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और राजस्थान राज्यों के संबंध में संक्षिप्त आदेश पत्र इत्यादि के लिए समन्वय कार्य।</p> <p>iii) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।</p>
2.	श्रीमती रचना कुमार, अवर सचिव (एमआरटीएस-IV)	<p>i) कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना से संबंधित सभी मामले।</p> <p>ii) पीपीपी के अधीन मेट्रो से संबंधित सभी कार्य मर्दे (जो विशिष्ट रूप से किसी अन्य अवर सचिव/डेस्क अधिकारी/अनुभाग अधिकारी को नहीं सौंपी गई हैं), इसमें कार्य की निम्नलिखित मर्दे भी शामिल हैं:</p> <p>क) पीपीपी के आधार पर शुरू की गई सभी मेट्रो परियोजनाओं के लिए छूट अनुबंध।</p> <p>ख) पीपीपी के आधार पर, पूर्ण रूप से निजी पहल के तौर पर अथवा पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के साथ, शुरू की गई मेट्रो परियोजनाओं के लिए चूक/निरीक्षण समिति से संबंधित मामले।</p> <p>ग) पीपीपी पर आधारित उन मेट्रो परियोजनाओं के लिए अधिकार-प्राप्त संस्थान, अधिकार-प्राप्त समिति और पीपीपीएसी से संबंधित सभी मुद्दे।</p> <p>iii) नई मेट्रो परियोजनाओं, चंडीगढ़, अहमदाबाद, लुधियाना, पुणे इत्यादि सहित, से संबंधित सभी कार्य मर्दे (जो विशेष तौर पर किसी अन्य अवर सचिव/डेस्क अधिकारी/अनुभाग अधिकारी को नहीं सौंपी गई हैं, इसमें निम्नलिखित कार्य की मर्दे भी शामिल हैं:</p> <p>क) समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर और कार्यान्वयन।</p> <p>ख) एमआरटीएस पर अधिकार-प्राप्त समिति (ईसी) और मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह (ईजीओएम) की सहायता।</p> <p>ग) स्वीकृति, बहुमॉडल समाकलन सहित पार्किंग नीति इत्यादि की शर्तों का परीक्षण।</p> <p>घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित स्वीकृति आदेश जारी करना।</p>

		<p>ड) सीसीआई इत्यादि को रिपोर्ट करने के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं का भौतिक और वित्तीय सत्यापन।</p> <p>च) बजट संबंधी मामले, अल्पावधि ऋण संबंधी मामले, निधियां जारी करना, संसदीय मामले, स्थायी समिति/सलाहकार समिति सहित।</p> <p>छ) संरेखन (एलाइनमेंट) इत्यादि के लिए राजपत्र अधिसूचना।</p> <p>ज) आयात शुल्क संबंधी मामले।</p> <p>झ) आरटीआई मामले/ वीआईपी संदर्भ।</p> <p>ञ) प्रतिनियुक्ति संबंधी मामले।</p> <p>ट) भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले।</p> <p>ठ) उच्चाधिकार-प्राप्त समिति संबंधी मामले।</p> <p>ड) फीडर बस सेवा संबंधी मामले।</p> <p>ढ) यात्रा किराया निर्धारण समिति इत्यादि</p> <p>ण) अदालती मामले।</p> <p>iv) गुजरात, हरियाणा, केरल और पंजाब राज्यों के संबंध में संक्षिप्त आदेश पत्र इत्यादि के लिए समन्वय कार्य।</p> <p>v) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।</p>
--	--	---

3. श्री आर.के. सिंह, निदेशक (यूटी-I) विशेष कार्याधिकारी (यूटी) और ई ओ संयुक्त सचिव को रिपोर्ट करेंगे

1.	श्री पंकज कुमार, अवर सचिव (यूटी-I)	<p>i) जेएनयूआरएम के अधीन सभी शहरी परिवहन परियोजनाएं और प्रस्ताव (बी आर टी एस और बस निधीयन योजना सहित)- स्वीकृति की शर्तों सहित परियोजनाओं का मूल्यांकन,समीक्षा और मॉनिटरिंग।</p> <p>ii) बस निधीयन योजना के लिए केंद्रीय स्वीकृति समिति और मॉनिटरिंग समिति (सीएसएमसी) से संबन्धित मामले</p> <p>iii) शहरी परिवहन पर पीपीपी प्रस्ताव (मेट्रो रेल परियोजनाओं को छोड़कर)</p> <p>iv) शहरी बस विनिर्देशन</p> <p>v) वैश्विक पर्यावरण सुविधायुक्त परियोजनाओं से संबन्धित कार्य</p> <p>vi) विश्व बैंक सहायता-प्राप्त परियोजनाओं से संबन्धित कार्य</p> <p>vii) यूएनडीपी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं से संबन्धित कार्य</p> <p>viii) डब्लूबीयूएनडीपी-जीईई सहायता-प्राप्त स्थायी शहरी परिवहन परियोजनाएं (एसयूटीपी)</p> <p>ix) कार्यकारी समूह और अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)</p>
----	---------------------------------------	---

		<p>x) विशेष पहल, इसमें राष्ट्रीय जन परिवहन हेल्पलाइन, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली (आईटीएस) जैसी तकनीकी जानकारी शामिल है</p> <p>xi) पूरे भारत में राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड</p> <p>xii) सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में प्राधिकार पत्र के लिए समन्वय कार्य (शहरी विकास मंत्रालय के शहरी परिवहन स्कंध में किसी अन्य अवर सचिव/डेस्क अधिकारी/अनुभाग अधिकारी को विशेष रूप से सौंपे गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर)</p> <p>xiii) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।</p>
2.	श्री जीवन कुमार, डेस्क अधिकारी (यूटी-IV)	<p>i) शहरी परिवहन और शहरी परिवहन योजना में क्षमता निर्माण से संबन्धित मामले।</p> <p>ii) यातायात और परिवहन अध्ययन और विस्तृत गतिशीलता योजना</p> <p>iii) शहरी परिवहन उत्कृष्टता केंद्र</p> <p>iv) डॉ. राकेश मोहन की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति को सहायता देना।</p> <p>v) शहरी परिवहन के लिए अनुसंधान सलाहकार से संबन्धित मामले</p> <p>vi) शहरी परिवहन और में मानक सेवा स्तरीय बेंचमार्क और उसका कार्यान्वयन</p> <p>vii) वार्षिक शहरी गतिशीलता भारत (यूएमआई) सम्मेलन और प्रदर्शनी</p> <p>viii) शहरी परिवहन संस्थान (आईयूटी) से संबन्धित सभी मामले</p> <p>ix) स्थाई निवास पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएच)</p> <p>x) आईपीटी, एनएमटी के लिए योजना</p> <p>xi) एकीकृत यातायात और परिवहन अवस्थापना इंजीनियरिंग केंद्र (यूटीआईपीईसी) से संबन्धित मामले, एनसीआर और जीएनसीटीडी के शहरी परिवहन संबंधी अन्य मामले</p> <p>xii) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।</p>
<p>4. निदेशक/उप-सचिव (यूटी-II) रिक्त संयुक्त सचिव (यूटी) को रिपोर्ट करेंगे</p>		
1.	श्रीमती एस.वी.आर. रमण, अवर सचिव (यूटी -III)	<p>i) राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006 का कार्यान्वयन और समीक्षा</p> <p>ii) विभिन्न राज्य सरकारों और राज्य सरकारों के विभिन्न अभिकरणों को परामर्श और परिपत्र (फीडर बस सेवा के लिए समन्वय सहित)</p> <p>iii) शहरी परिवहन स्कंध में मुकदमे संबंधी मामलों के नोडल यूएस प्रभारी</p> <p>iv) शहरी मास ट्रांजिट कंपनी (यूएमटीसी)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> v) एनसीआरपीबी के यूटी मामले, आरआरटीएस को छोड़कर vi) मोटर वाहन अधिनियम, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एएसआरटीसी से साथ समन्वय vii) अवस्थापना पर उच्चाधिकार-प्राप्त समिति viii) व्यापार नियमों का आबंटन ix) शहरी परिवहन/एमआरटीएस परियोजनाओं से संबन्धित जन शिकायत मामले (सम्पूर्ण समन्वय) x) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
2.	<p>डेस्क अधिकारी (यूटी -II)- रिक्त</p> <p>वर्तमान में श्रीमती एस.वी.आर. रमण, अवर सचिव (यूटी-III) द्वारा देखा जा रहा है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> i) भारत में शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए सफाई विकास तंत्र (सीडी एम) से संबन्धित मामले, परामर्शदाताओं का चयन और अन्य सभी मामले ii) एडीबी, विश्व बैंक, जेआईसीए, एएफडी, डीएफआईडी के साथ टीए iii) जेआईसीए/एडीबी/एएफडी/केएफडब्लू आदि जैसी विदेशी सहायता से शुरू की गई राज्य सरकारों की परियोजनाएं, जैसे कि हैदराबाद का बाहरी रिंग रोड, चेन्नै आदि iv) एनईएमएमपी, एनसीईएम, ऑटो ईंधन नीति v) आरटीआई मामले। vi) शहरी परिवहन पर विभिन्न समितियों को सहायता प्रदान करना vii) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
3.	<p>श्री आर.सी. मीणा, अवर सचिव (यूटी - समन्वय)</p>	<ul style="list-style-type: none"> i) शहरी परिवहन से संबन्धित मामलों का सम्पूर्ण समन्वय (जन शिकायत को छोड़कर) इसमें शामिल है: <ul style="list-style-type: none"> क) शहरी परिवहन स्कंध के सामान्य प्रशासन और कर्मचारियों से संबन्धित सभी मामले ख) वार्षिक योजना ग) पंचवर्षीय योजना घ) संसद सवाल ङ) आर्थिक सर्वेक्षण। च) शहरी परिवहन से संबन्धित लेखा परीक्षा और बजट संबंधी मामले (जिनका दूसरी जगह उल्लेख नहीं किया गया है) छ) मासिक रिपोर्ट ii) बजट भाषण, अध्यक्षीय भाषण और अन्य भाषण।

	<ul style="list-style-type: none"> iii) शहरी परिवहन/एमआरटीएस परियोजनाओं से संबन्धित जन शिकायत मामले (सम्पूर्ण समन्वय) iv) केन्द्र सरकार के स्तर पर समर्पित शहरी परिवहन कोष की स्थापना और उसका प्रबंधन v) शहरी विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट vi) शहरी परिवहन स्क्ंध के लिए बजट का समन्वय vii) समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
--	---

शहरी परिवहन स्क्ंध के लिय संपर्क अधिकारी निम्न प्रकार होंगे:

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	संपर्क अधिकारी
1.	श्री आर.के. सिंह, निदेशक (यूटी-आई)	श्री प्रकाश सिंह, निदेशक (एमआरटीएस-I) और विलोमत:
2.	निदेशक/उपसचिव (यूटी-II) (रिक्त)	सुश्री रूथ चांगसन, उप सचिव (एमआरटीएस-II) और विलोमत:
3.	अवर सचिव (एमआरटीएस-II) (रिक्त)	श्री दीन दयाल, अवर सचिव (एमआरटीएस-समन्वय)
4.	श्री के.सी. मीणा, अवर सचिव (एमआरटीएस-III)	श्रीमती रचना कुमार, अवर सचिव (एमआरटीएस-IV) और विलोमत:
5.	श्री एस.के. गुप्ता, अवर सचिव (एमआरटीएस-I)	अवर सचिव (एमआरटीएस-II)
6.	श्री पंकज कुमार, अवर सचिव (यूटी-I)	श्री जीवन कुमार, डेस्क अधिकारी (यूटी -IV) और विलोमत:
7.	श्री आर.सी. मीणा, अवर सचिव (यूटी-समन्वय)	डेस्क अधिकारी (यूटी-II) (रिक्त)
8.	श्रीमती एस.वी.आर. रमण, अवर सचिव (यूटी-III)	श्री आर.सी. मीणा, अवर सचिव (यूटी समन्वय।)
9.	श्री दीन दयाल, अवर सचिव (एमआरटीएस-समन्वय)	श्री एस.के. गुप्ता, अवर सचिव (एमआरटीएस-I)
10.	डेस्क अधिकारी (यूटी-II) रिक्त	श्रीमती एस.वी.आर. रमण, अवर सचिव (यूटी III)